न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

नि0 2652-II/15 निगरानी प्रकरण क0....... / 2015

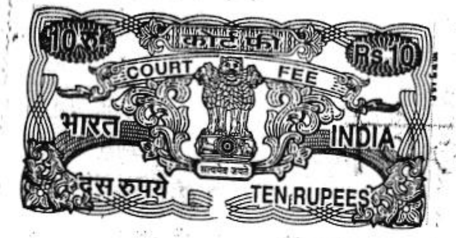

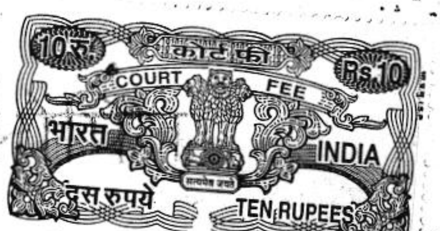

मो0 गुलशेर पिता श्री मो0 जलील मुसलमान उम्र 38 वर्ष पेशा प्राईवेट नौकरी निवासी नजीराबाद सतीरानी मंदिर के पीछे सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...............................निगराकार

बनाम

1— फातमा उर्फ बिग्गी पत्नी मो0 हसन उम्र 65 वर्ष पेशा गृहकार्य नि0 चिकान मोहल्ला अमरपाटन तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

2— सलमाबानो पत्नी श्री मो0 स्माईल पुत्री स्व0 रहीमन उम्र 35 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी नजीराबाद सतीरानी मंदिर के पीछे सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3— रहीमन पुत्री मो0 सखाबुद्दीन पत्नी मो0 जलील उम्र 60 वर्ष निवासी नजीराबाद सतना म0प्र0 (मृत).......................गैरनिगराकारगण

श्री मुकेश भार्गव अभि0 द्वारा आज दि. 17-8-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-8-15

मुकेशभार्गव 17-8-15 एडवोकेट ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 10 / 07 / 2015 प्रकरण क0 47 / अपील / 2014 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहरघु0 जिला सतना म0प्र0 (पीठासीन अधिकारी श्री रमेश कुमार सिंह)

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:—

1— यह कि निगराकार के नाना स्व0 सखाबुद्दीन पिता श्री रमजानबक्स मुसलमान निवासी नजीराबाद सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के कोई पुरूष संतान नही थी उनके मात्र दो पुत्रियां निगराकार की मां रहीमन एवं हाफजल उर्फ फातमा उर्फ बिग्गी थी। वसीयतकर्ता अपने दोनो पुत्रियों का विवाह कर दिये थे तथा अपनी छोटी पुत्री रहीमन के साथ मे निवास करते थे और रहीमन तथा निगराकार दोनो सखाबुद्दीन पिता श्री रमजानबक्स मुसलमान निवासी नजीराबाद सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की सेवा कुसामत करते थे इसलिए उनके द्वारा अपने जीवन काल मे ही भविष्य के विवाद को देखते हुए उपस्थित गवाहो के सामने दिनांक 27 / 04 / 2007 को मौजा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(32)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/2652/II/15, सतना मो॰ गुलशेर/फातमा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/14 में पारित आदेश दिनांक 10/07/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	